Central Ministries|Departments are reminded constantly to expedite their views in the matter. Discussions are also held where necessary, to expedite the clearance of the Bills.

(d) As per Entry 34 of List II of Seventh Schedule to the Constitution of India, the subject private lotteries i.e. Betting and Gambling falls within the purview of State Governments who are fully competent to conduct, run and ban their own as well as private lotteries. Keeping in view the malpractices, frauds and protests voiced at different forums, the Central Government has, from time to time issued guidelines to the States to check such practices by strengthening their existing state laws

दिल्ली सरकार/केन्द्र सरकार का अधिकार क्षेत्र

1345. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली राज्य और देश के अन्य राज्यों, जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है, के बीच अन्तर क्या है; और

(ख) दिल्ली सरकार के पूर्ण अधिकार क्षेत्र और आंशिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषय कौन-कौन से हैं और केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषय कौन से हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली अभी भी (एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद सहित) संघ शासित क्षेत्र ही है, राज्य नहीं ।

(ख) चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है इसलिये इस बात के होते हुये भी कि कोई मामला "राज्य सूची" में समाविष्ट है, उस मामले में कानून बनाने का अधिकार, अभी भी संसद को है । तथापि, संविधान के अनुच्छेद 239 कक (3)(क) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा को भी संविधान के उपबंधों के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संपूर्ण या किसी हिस्से के लिये, राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 से संबंधित और इसी सूची की प्रविष्टि 64,65 और 66 से संबंधित मामलों जहां तक कि ये प्रविष्टियां उक्त प्रविष्टियां 1,2 और 18 से संबंधित हैं, को छोड़कर राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में वर्णित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है बशर्ते कि ऐसा कोई मामला संघ शासित क्षेत्र पर लागू होता हो ।

National Police Commission's recommendation on police reforms

1346. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) by when and in what manner Government proopse to take action on the National Police Commission's recommendation to reform and reorganise the police forces in the country; and

(b) whether Government have taken note of the enlightened public reaction to the demoralisation in the police ranks because of politicisation of the Force and its disastrous consequences to the law and order of the nation and if so, what steps are proposed to be taken by Government to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) The recommendations of the National Police Commission having been